राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–797 / 2023

दीपक यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विकास पालीवाल, कनिष्ठ सहायक, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सांगानेर, जयपुर से कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, केकडी, अजमेर में किया गया है।

4. उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जबकि अपीलार्थी पंचायतीराज विभाग का अंतरित कार्मिक है ऐसे में आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित कियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में

जारी किया गया है एवं पंचायती राज विभाग से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

5. उनका तर्क है कि स्थानान्तरण आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अतः उक्त कारणों से आलोच्य आदेश अवैध एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

6. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क कि उसका स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में किया गया है।

इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 13.01.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि आदेश प्रशासनिक दृष्टि से पारित किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प.11(1)मम/2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का बंटवारा व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री के नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायतीराज के अधीनस्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायतीराज (आंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार स्वीकृति पंचायतीराज विभाग से लिये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य में एवं एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबियार बनाम राजस्थान राज्य में भी यह माना है कि जहां विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, वह स्थानान्तरण आदेश उचित है। यह भी माना है कि एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन सक्षम स्तर पंचायतीराज विभाग के अधीनस्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी स्पेशल अपील (रिट)

संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य बनाम रेखा कुमारी में भी मंत्री स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना उचित माना है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रेखा कुमारी के मामले में कहीं भी यह निर्देश नहीं दिया है कि मंत्री से अनुमोदित होने का अंकन आदेश में किया जावे, अपितु यह निर्णित किया है कि मंत्री से बाद में अनुमोदन प्राप्त किया जाना भी उचित है।

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत–ड में यह प्रावधान है कि न्यायालय अवधारित कर सकेगा कि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किये जावे। राज्य सरकार ने बिजनेस रूल्स में स्थानान्तरण के मामले में सक्षम स्तर मंत्री महोदय को बनाया हुआ है। ऐसे में यदि आलोच्य आदेश में सक्षम स्तर अंकित नहीं है तो यह नहीं माना जा सकता कि विभाग की कार्यवाही गलत प्रकार से की गई है, अपितु आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन होना माना जा सकता है। आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से जारी किया गया है। यह अवधारणा की जा सकती कि आलोच्य आदेश मंत्री के स्तर पर अनुमोदन कराने के पश्चात् जारी किया गया है। उपरोक्त स्थिति में प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायतीराज (अंतरित कियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

9. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि हो।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)